



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 911101



पाँच रुपये
रुपये ५
१५ अगस्त १९४३

रुपये ५

सत्य प्रतिलिपि

दप निवासक
कर्म संविधानो तथा चिद्ध
फूल अंडा बाजार (उ० प्र०)
१५.०८.१९४३

A. S.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 908397



लालूपुर दारशन द्वारा रुपय
रुपयाएं सौ एवं दस रुपयाएं
कुलाबूपुर द्वारा दार्शन कार्यालय
अधिकारी द्वारा दार्शन कार्यालय
1943

सत्य प्रतिलिपि

उप विवरण
कर्म समितियां तथा चिह्न
काशीबाद (क०. प्र०)

11-7-2007

A. S. /

समृद्धि-पत्र

१. संस्था का नाम
२. संस्था का पता
३. संस्था का कार्यक्षेत्र
४. संस्था का उद्देश्य



- पीपुल्स एवेशन फॉर सरल एडवांसमेण्ट एण्ड सस्टेनेबिलिटी'
- ग्राम जयप्रभा ग्राम, पो० पिरखौली, फैजाबाद सम्पूर्ण भारतवर्ष
१. समाज के सामाजिक एवं आर्थिक वंचित समूहों को केन्द्रित करते हुए विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।
 २. किसानों, श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं युवाओं की क्षमता वृद्धि तथा आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराना।
 ३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियां संचालित करना।
 ४. समाज के आर्थिक रूप से विपन्न समुदायों के आर्थिक उन्नयन हेतु आर्थिक गतिविधियां संचालित करना।
 ५. ग्रामीण दस्तकारी, गैर पारम्पारिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।
 ६. समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक, कानूनी एवं लोक शिक्षा आधारित गतिविधियों को संचालित करना।
 ७. पंचायतों की गतिशीलता हेतु पंचायत सदस्यों एवं ग्रामीणों के लिए क्षमता वृद्धि एवं जागरूकता कार्यक्रमों, का आयोजन करना व समन्वयन स्थापित करना।
 ८. समुदाय के वंचित तबकों को उनके हक एवं अधिकार दिलाने हेतु संगठित करना, क्षमता वृद्धि करना तथा उनके मुद्रों पर पैसवी करना।
 ९. विकास सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण, अध्ययन एवं शोध कार्य करना।
 १०. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
 ११. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं इनसे अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि

रघु निवन्धक
कर्म समितिर्थ तथा चिद्द
फैजाबाद (८०५०)

१९०२/१९०३

८.

९.

१०.

११.

५. सुलोपनि

आट्रेक्षनी

सुलोपनि

६. विद्यावती

विद्यावती

७. डेवेलपमेंटर —

कृष्ण

८. अजपकुमार

अजपकुमार

1. *[Signature]*

2. *१९०२/१९०३*

3. *सा. हृष्णलाल*

Achre Singh



(५) संस्था के ग्रन्थकारियों समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको इस संस्था के स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री भारत भूषण	श्री पारस नाथ	पंजीकरण संरक्षक	पीपुल्स एक्शनफारनेशनलइन्डीगेशन(पानी समाजसेवा संस्थान) ग्राम व पो० चाचिकपुर, अम्बेडकरनगर	
2	श्री रमाशंकर सिंह	श्री रमेश चन्द्र सिंह	अध्यक्ष	ग्रा० भवनीपुर पो० पिरखौली फै०	समाजसेवा
3	श्री साहबलाल	श्री राम मिलन	उपाध्यक्ष	ग्रा० भवनीपुर पो० पिरखौली फै०	समाजसेवा
4	श्री अन्वरीश कुमार	श्री भारत भूषण	सचिव	4044/3परिक्षमा मार्ग सिविल लाइन,	संगाजसेवा
5	श्री सुलोद्धना	श्री गया प्रसाद	सदस्य	ग्रा० दिलीप का पुरवा पो० सारगंपुर फै०	समाजसेवा
6	श्री विद्यावती	स्व. श्री सत्य नारायण	सदस्य	ग्रा० व पो० पिरखौली फैजाबाद	समाजसेवा
7	श्री देवेन्द्र	श्री साहब बद्रस	सदस्य	ग्रा० बदन का पुरवा पो० सारगंपुर फै०	समाजसेवा
8	श्री अजय कुमार	श्री फतेह बहादुर	सदस्य	ग्रा० जगर्दीशगंज पो० पिरखौली फै०	समाजसेवा



16/12/2001

दिनकर

हस्ताक्षर

L. 22.3

आपत्तिपूर्व
लुलीयता

विद्यावती

Amma

आजपकुमार

Subarnish Singh



PARAS
Foundation

Jayaprabhagram Bhavaniyalay
★ Pirkhavli, Faizabad ★

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियाँ तथा विद्युत
फैजाबाद (८० प्र०)
१९०२०२०००

नियमावली

१. संस्था का नाम : प्रिपुन्स एकशन फॉर सरल एडवांसमेण्ट एण्ड सस्टेनेबिलिटी'
२. संस्था का पता : ग्राम जयपुरभा ग्राम, पो० पिरखौली, फैजाबाद
३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
४. संस्था को सदस्यता वथा सदस्यों के वर्ग

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1000रु. रुपया नकद या इतने ही मूल्य को संपत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100रु. रुपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

५. **सदस्यता को समाप्त:**
- १ मृत्यु हो जाने पर।
 - २ पागल या दिवालिया हो जाने पर।
 - ३ संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
 - ४ अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर।
 - ५ नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
 - ६ नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
 - ७ लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

६. संस्था के अंग : १ साधारण सभा २ प्रबन्धकारिणी समिति।

७. साधारण सभा :

बैठक : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सचिव द्वारा 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना दिन 7 पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु स्थिगित गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थिरित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक में गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा।

गणपूर्ति : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

- साधारण सभा के कर्तव्य:**

१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

१. सत्य प्रतिलिपि
२. २५/१९८८/२८/१२८ प्रिपुन्स
३. सामान्य समितियां तात्त्व चिह्न
४. नियमित बैठक — १०२/१००
- Fata Singh*

५. आठवां
६. विधावती

७. डेवेलपमेंट — फाइ

८. अंजय कुमार अंजय कुमार



- 3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- 4 संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :

घटक : ग्राम्य सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को भिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिनमें संरक्षक एक, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, तथा 4 सदस्य सहित कुल 8 सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या कभी भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है।

बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है।

सूचनाअवधि: प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा। एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः दुबारा बुलाई गई बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष अवधि के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

- 1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा 5 साल बाद पुनः चुनाव होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

संरक्षक :

1. संस्था का मार्गदर्शन करना एवं पदाधिकारियों की समय-समय पर दिशा निर्देशन देना।
2. पीपुल्स एकशन फॉर नेशनल इन्टीग्रेशन (पानी संस्थान) का कार्यकारी सचिव संस्था का पदन संरक्षक होगा।
3. परित बजट तथा गतिविधियों की अंतिम स्वीकृत प्रदान करना।
4. बैठक की अध्यक्षता करना।
5. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सम्पन्न करना।

बैठक में शन्ति व्यवस्था कायम रखना।

संस्था के बैठकों की सूचना प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के विकास हेतु हो।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ द्वारा दिए
फैजाबाद (उ० प्र०)

उपाध्यक्ष : १९०२/३००

सचिव

1

पक्ष विपक्ष

5. मारुति राम

सुलोचना

1. मारुति राम L. २२८

6. विद्यावती

विद्यावती

2. २५०८/१८८

7. देवि-द्रुष्टा — X

3. साईवलाल

A. S. S.

8. अंजय कुमार अंजय कुमार



- 2 पारित बाजट के अन्तर्गत व्यय को स्थीकृति प्रदान करना।
- 3 संस्था के हित में प्रचार साधनों के माध्यम से उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
- 4 संस्था का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।
- 5 वैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
- 6 बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
- 7 कर्मचारियों को नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
- 8 आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।
- 9 समर्त अन्य संस्थाओं/एजेसियो/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समरतप्रभों पर हस्ताक्षर करना।
- 10 संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
- 11 सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
- 12 संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
- 13 संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- 14 वैठक की कार्यवाही सभा में पढ़कर सुनाना तथा लिपिबद्ध करना।
- 15 सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर में नोट करना।



10 संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/उसदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से छाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

12 संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आईटी :

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आईटी द्वारा कराया जायेगा।

13 संस्था के द्वारा अथवा उसके विच्छब्द अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :
संस्था द्वारा दोने वाली प्रभ-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14 संस्था के अभिलेख :

- | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 सदस्यता रजिस्टर | 2 कार्यवाही रजिस्टर | 3 स्टाक रजिस्टर | 4 लेजर-कैश बुक आदि |
| 5 उपस्थिति रजिस्टर | 6 गतिविधि रजिस्टर | 7 आगंतुक पंजिका | |

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक रजिस्टर रखे जाएँगे।

15 संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रविस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्वर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 16.12.2004

मान्त्रिक भवन

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियां तथा चिट्ठा
फैजाबाद (उ० ३०)

१९/०२/२००४

सुलोपता

किशोरवती

किशोरवती

3-जप कुमार



A. A. Singh